न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट चौमूँ, जयपुर
(न्याय आपके द्वार लोक अदालत / कैम्प कोर्ट ग्राम भूतेड़ा)
पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रियव्रत सिंह चारण (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–73/2014

उनवान

गोपाल पुत्र मूनाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम चेता का बास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. सीताराम पुत्र मंगला
2. प्रभात पुत्र मुन्ना दत्तक पुत्र सुरजा
3. गोठी देवी पत्नि शंकरलाल
4. हनुमान पुत्र मूनाराम

   समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम चेता का बास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 188 रा0 का0 अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक:–06.06.2017

निर्णय

वादी ने वाद इस आशय का पेश किया है कि विवादित भूमि वाके ग्राम चेता का बास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में खसरा नम्बर 2050 रकबा 0.40 है0 भूमि स्थित है। उक्त भूमि का 1/5 हिस्सा भाग की खातेदारी वादी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा शेष हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 ता 4 व अन्य सहखातेदारों का है। उक्त भूमि वर्तमान में अविभाजित भूमि है जिसके विभाजन हेतु न्यायालय श्रीमान के समक्ष एक वाद उनवानी सीताराम बनाम गोपाल वगै0 विचाराधीन है। वादी ने मनबट अनुसार अपने हिस्से में आई भूमि में पुख्ता मकान के पश्चिम व दक्षिण दिशा में

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

शामलाती रास्ता स्थित है उक्त रास्ता वादी व सहखातेदारों द्वारा अपनी काश्त की भूमियों में से आने जाने के लिये आपसी सहमति से मौके पर रास्ता कायम किया हुआ है, जिसमें से होकर वादी व सहखातेदार अपने हिस्से की कृषि भूमियों में अपने कृषि साधन वगै0 लाने ले जाने, पशुओं को लाने ले जाने, चारा वगै0 लाने ले जाने हेतु उपयोग करते आ रहे हैं। उक्त रास्ता करीब 20 वर्षों से अधिक समय से मौके पर शामलाती रास्ते के रुप में प्रयुक्त हो रहा है। उक्त रास्ता वादी व उसके सहखातेदारों की खातेदारी की कृषि भूमियों में स्थित है। वादी के पुख्ता मकान के पूर्व दिशा में मकान शामलाती वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 का है, तथा शामलाती पुख्ता मकान के पूर्व दिशा में बाड़ा प्रभात व हनुमान का है। इसी प्रकार वादी के पुख्ता मकान व बाड़े के पश्चिमी दिशा में रास्ता छोड़कर मकान सीताराम का स्थित है। उक्त रास्ता ही वादी के मकान से खातेदारी भूमि में आने जाने का एकमात्र रास्ता है। उक्त रास्ता ही वाद हाजी में विवादित है।

प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 वादी के सहखातेदार हैं जिनके द्वारा शामलाती खातेदारी कृषि भूमि में स्थित रास्ते की भूमि के उपयोग उपभोग में वादी को दखलन्दाजी व बाधा कारित की जा रही है। उक्त रास्ता वादी व सहखातेदारों द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में बने पुख्ता मकानों से कृषि भूमि में आने जाने हेतु शामलाती रास्ता आपसी सहमति से छोड़ रखा है जिसे किसी भी पक्षकार को बन्द या अवरुद्ध करने का कतई कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं है। वादी विवादग्रस्त रास्ते की भूमि का अपनी कृषि भूमि में आने जाने हेतु उपयोग उपभोग कर रहा है तथा मौके पर विवादग्रस्त रास्ता करीब 40 फीट चौड़ाई में कायम है। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 जो कि संख्या बल व बाहुबल में अधिक हैं जो आये दिन वादग्रस्त रास्ते को बन्द व अवरुद्ध करने की कुचेष्ठा में रहते हैं। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 द्वारा दिनांक 10.09.2014 को उक्त शामलाती भूमि में कायम रास्ते की भूमि में अवैद्य रुप से छड़ियां, पत्थर आदि डालने का असम्भव प्रयास किया गया जिस कृत्य हेतु वादी द्वारा प्रतिवादीगण को मना किया गया तो प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 वादी से जबरिया लड़ाई झगड़ा कर जान से मारने पर उतारु हो गये, प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 द्वारा वादी को एलानियां धमकी दी गई कि हम शीघ्र ही मौका पाकर उक्त रास्ते के उपयोग उपभोग से तुम्हे वंचित कर देंगे तथा उक्त रास्ते को हमेशा के लिये नष्ट व भ्रष्ट कर देंगे। जिस पर वादी ने कहा कि यह रास्ता तो कदीमी से चला आ रहा है, जिसे आप लोगों को बंद या अवरुद्ध करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है तो प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 उग्र हो गये तथा ऐलानियां धमकी दी कि वह अतिशीघ्र

सहायक कलक्टर
जोधपुर (राजस्थान)

Scanned by CamScanner

रास्ते की विवादग्रस्त भूमि की कायम डोल को तोड फोड़ कर रास्ते की भूमि को अपनी भूमि में मिला लेंगे तथा मौके पर विधि विरुद्ध तरीके से पुख्ता निर्माण कार्य कर रास्ते का उपयोग उपभोग वादी को नहीं करने देंगे।

वादी द्वारा पाद पत्र पेश कर यह अनुतोष चाहा गया है कि प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 को जरिये सथायी निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी के उपयोग उपभोग के शामलाती रास्ते में कोई अवेद्य कृत्य कर उपयोग उपभोग से वंचित ना करें, ना ही छड़ियां, पत्थर आदि डालकर उक्त रास्ते के उपयोग उपभोग में बाधा कारित करें, ना ही वादी के रास्ते की वर्तमान स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन करें। उपरोक्त समस्त कृत्य ना तो प्रतिवादीगण स्वयं करें, ना ही किसी उजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमैन आदि के जरिये करवायें।

प्रतिवादी सं0 1 द्वारा जवाब दावा इस प्रकार पेश किया गया कि वाद में वर्णित खसरा नम्बर 2050 रकबा 0.40 है0 भूमि में वादी व अन्य खातेदारों का हिस्सा होना स्वीकार है। खसरा नं0 2050 रकबा 0.40 है0 भूमि की किस्म राजस्व अभिलेख के अनुसार बारानी है ना कि गै0 मु0 रास्ता। जबकि जमाबन्दी के अनुसार खसरा नं0 2052 की किस्म गै0 मु0 रास्ता दर्ज है तथा मौके पर भी रास्ता खसरा नं0 2052 में ही वादी का रास्ता स्थित है जो आगे जाकर शामलाती चौक में स्थित मन्दिर तक जाता है। वर्तमान में उक्त खसरा नं0 में कोई रास्ता कायम नहीं है, ना ही कोई रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वर्तमान में सभी काश्तकार अपने हिस्से में से आई भूमि में से होकर आने जाने के लिये रास्ता काम में लेते हैं न ही शामलाती रास्ता है। मिन प्रतिवादी उक्त भूमि का तकासमा करवाने के लिये न्यायालय श्रीमान के यहां उनवानी वाद सीताराम बनाम गोपाल वगै0 के नाम से पेश कर रखा है जिसमें तकासमा होने पर सभी की शामलाती भूमि में प्रत्येक खातेदार के लिये रास्ते हेतु भूमि छोड़कर तकासमा किया जावेगा तथा रास्ते को नक्शे में तरमीम कर दिया जावेगा जिससे सभी खातेदारों को शामलाती भूमि में से आने जाने के लिये रास्ता कायम हो सकेगा।

प्रतिवादी सं0 2 द्वारा जवाब दावा इस प्रकार पेश किया गया है कि वाद में वर्णित खसरा नम्बर 2050 रकबा 0.40 है0 भूमि में वादी व अन्य खातेदारों का हिस्सा होना स्वीकार है। भूमि में वादी व प्रतिवादीगण सं0 1, 3, 4 का 1/2 हिस्सा एवं 1/2 हिस्सा मिन प्रतिवादी सं0 2 का निहित है तथा उनवानी प्रकरण सीताराम बनाम गोपाल वगै0 में मिन प्रतिवादी सं0 2 की ओर से जवाब मय काउन्टर क्लेम पेश किया हुआ है, व उक्त वाद में भी स्थायी निषेधाज्ञा चाही गई है, ऐसे में इस वाद को चलाये रखना

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

गलत है तथा रास्ते को मिन प्रतिवादी ने कतई भी बन्द अथवा अवरुद्ध नहीं किया है तथा रास्ता कतई भी विवादित नहीं है। वादी ने रास्ते को गलत रुप से विवादित होना आरोपित किया है। वादी मिन प्रतिवादी को किसी भी प्रकार से पाबन्द करवाने का अधिकारी नहीं है।

पत्रावली न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट ग्राम भूतेड़ा में पेश हुई। पक्षकारान अनुपस्थित। पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण स्थायी निषेधाज्ञा से संबंधित है। वादी द्वारा अपने सहखातेदारों के विरुद्ध वाद पेश कर स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अनुतोष चाहा गया है। जबकि एक सहखातेदार अपने दूसरे सहखातेदार को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं करवा सकता। वादी व प्रतिवादीगण आपस में सहखातेदार हैं। अविभाजित भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक भू–भाग पर बराबर हक व अधिकार होता है। प्रकरण में वादी द्वारा मुख्य अनुतोष तकासमे का न चाहकर आनुसंगिक अनुतोष स्थायी निषेधाज्ञा का चाहा गया है। न्यायालय अभिमत में वादीगण को मुख्य अनुतोष के अभाव में आनुसंगिक अनुतोष दिया जाना उचित नहीं है। अतः वादीगण का वाद पत्र मुख्य अनुतोष के अभाव में खारिज किया जाता है।

अंतिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.06.2017 को न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट ग्राम भूतेड़ा में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
चौमूँ

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट,चौमूँ, जयपुर
(न्याय आपके द्वार लोक अदालत / कैम्प कोर्ट ग्राम भूतेड़ा)

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रियव्रत सिंह चारण (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–73/2014

उनवान

गोपाल पुत्र मूनाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम चेता का बास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. सीताराम पुत्र मंगला
2. प्रभात पुत्र मुन्ना दत्तक पुत्र सुरजा
3. गोठी देवी पत्नि शंकरलाल
4. हनुमान पुत्र मूनाराम

   समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम चेता का बास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 188 रा0 का0 अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक:–06.06.2017

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी ..... मिनजामिन व ..... मुददई रूबरू श्री प्रियव्रत सिंह चारण आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

वादी द्वारा अपने सहखातेदारों के विरुद्ध वाद पेश कर स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अनुतोष चाहा गया है। जबकि एक सहखातेदार अपने दूसरे सहखातेदार को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं करवा सकता। वादी व प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

आपस में सहखातेदार हैं। अविभाजित भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक भू–भाग पर बराबर हक व अधिकार होता है। प्रकरण में वादी द्वारा मुख्य अनुतोष तकासमे का न चाहकर आनुसंगिक अनुतोष स्थायी निषेधाज्ञा का चाहा गया है। न्यायालय अभिमत में वादीगण को मुख्य अनुतोष के अभाव में आनुसंगिक अनुतोष दिया जाना उचित नहीं है। अतः वादीगण का वाद पत्र मुख्य अनुतोष के अभाव में खारिज किया जाता है।

निजी .....मबलिक ..... बाबत .....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक ..... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 06.06.2017 को जारी किया गया

मोहर

दस्तखत.....
सहायक कलक्टर
ओहदा....चौमूँ (जयपुर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	2 1	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	3
जोड़	3	जोड़	3

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner